न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 110/19 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2019/00379

अनवान्

1. श्री लोगर पिता केवला डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
2. श्री माना पिता केवला डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
3. श्री हेमा पिता केवला डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
4. श्री मदन पिता सोहन नाबालिग संरक्षक माता कंकुबाई पत्नी सोहन डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
5. गुड्डी पुत्री सोहन डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
6. सीता पुत्री सोहन डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
7. श्रीमती कंकुबाई पत्नी सोहन डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
8. श्रीमती मांगीबाई पुत्री केवला पत्नी भेरा डांगी निवासी ओडवाडिया हाल सांगवा तहसील मावली।
9. श्रीमती फेफा बेवा केवला डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली। (मृतक)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भेरा पिता तेजा डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली मृतक के बजाय :–

1/1 श्रीमती धुलीबाई पुत्री भेरा पत्नी केसुलाल डांगी निवासी भैंसडा कला (मगरी) तहसील गिर्वा।

1/2 श्रीमती रूपीबाई पुत्री भेरा पत्नी अमरा डांगी निवासी जुनावास तहसील मावली।

1/3 श्री गणेशलाल पिता भेरा डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।

1/4 श्री प्रभुलाल पिता भेरा डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मालवी।

1/5 श्रीमती जमनी पुत्री भेरा पत्नी बाबुलाल डांगी निवासी भल्लो का गुडा आमलीवाला घर तहसील कुराबड।

1/6 श्रीमती गुलाबीबाई पत्नी भेरा डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।

2. श्रीमती कंकु पत्नी सोहनलाल डांगी निवासी ओडवाडिया तहसील मावली।
3. श्री रामलाल पिता भेरा डांगी निवासी करगेट तहसील गिर्वा।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1 से 1/6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 03.02.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आंवलियों का कुआ पटवार

हल्का गुडली तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 473, 482 किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 465, 466, 481 किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा आराजीयात में से आराजी नम्बर 465 सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 466 का 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 के नाम तथा आराजी नम्बर 481 सम्पूर्ण विपक्षी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 474 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैं :–

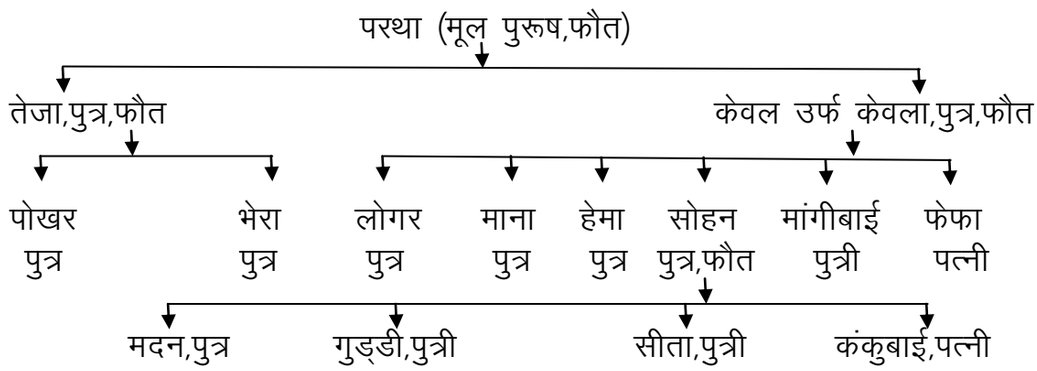

उक्त सजरे अनुसार परथाजी हमारे मूल पुरूष थे जिसके दो पुत्र तेजा एवं केवल उर्फ केवला हुए। तेजा के दो पुत्र पोखर व भेरा हुए हैं। केवल उर्फ केवला के चार पुत्र लोगर माना हेमा सोहन एवं एक पुत्री मांगीबाई हुई तथा पत्नी फेफा हैं। सोहन का निधन हो चुका है जिसके वारिस पुत्र मदन, पुत्री गुड्डी, सीता एवं पत्नी कंकुबाई हैं।

3. यह कि परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित आराजीयात हमारी पैतृक सम्पति होकर पूर्व के रेवेन्यु रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के मौरूस केवल उर्फ केवला एवं विपक्षी संख्या 1 के मौरूस तेजा के नाम पर बराबर–बराबर हक हिस्सेनुसार खातेदारी हक से दर्ज थी और मौके पर भी हमारे मौरूसान का बराबर–बराबर हक हिस्सेनुसार अर्थात् प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के 1/2 भाग पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा था तथा हमारे मौरूस के निधनोपरान्त उनके हिस्से कब्जे की कुलिया भूमियां हम प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त होकर हम सभी वारिसान हम प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध रूप से उन भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं भुगत भोग करते चले आ रहे है और हम प्रार्थीगण ने अपने हिस्से कब्जे की भूमियों के चारो तरफ भूमि एवं फसलों की सुरक्षा हेतु

थौहर एवं कोट बना रखा है तथा वर्तमान में इन भूमियों के समीप रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया बन चुका है जिसकी वजह से ये भूमियां काफी बहुमूल्य हो चुकी हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित कुलिया कृषि भूमि का रकबा 4.18 + 4.07 + 2.06 = 11.11 बीघा हैं जिसमें हम प्रार्थीगण के मौरूस का 1/2 हक हिस्सा था जिसके अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि में करीब 5.15 बीघा भूमि हमारे हिस्से पांती की है और मौके पर भी हमारे मौरूस का उक्त कृषि भूमि पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा था हमारे मौरूस के मरणोपरान्त उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा हमारे द्वारा ही निरन्तर निर्बाध रूप से इस भूमि पर मौसमवार फसलों की बुवाई कर पैदावार प्राप्त करते आ रहे है किन्तु उक्त कृषि भूमियों का जब पांती बंटवाडा किया गया था उस बंटवाडे में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने मनमाने ढंग से हमारे हक हिस्से में 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बजाय केवल मात्र 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि अंकन कर दी है तथा विपक्षी संख्या 1 भेरा एवं पोखर/इनके मौरूस के हिस्से में अपनी मनमर्जी से उनके हिस्से से ज्यादा भूमि अर्थात् 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि अंकित कर दी जो अंकन वर्तमान जमाबन्दीयों में चला आ रहा है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। विपक्षी संख्या 1 भेरा एवं पोखर के नाम हिस्से से ज्यादा जमीन दर्ज होने से तथा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया (गुडली) के नजदीक ये भूमि आ जाने से लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर विपक्षी संख्या 1 भेरा ने परिशिष्ट ब में अंकित आराजी नम्बर 465 में अपने नाम अंकित 1/2 हिस्से को नुमाईशी तौर से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया और विपक्षी संख्या 2 ने उक्त भूमि अपने नाम पर अंकित करा कर पुनः विपक्षी संख्या 3 को नुमाईशी तौर से हस्तान्तरित कर दी जो अंकन वर्तमान जमाबन्दी में हो चुका हैं। इसी तरह पोखर ने भी लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर परिशिष्ट स में अंकित आराजी नम्बर 474 में अपने नाम अंकित 1/2 हिस्से को नुमाईशी तौर से विपक्षी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर दिया जिससे वर्तमान जमाबन्दी में पोखर के बजाय विपक्षी संख्या 2 कंकु का नाम रद्दोबदल हो चुका है जबकि इनको उक्त हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। इनको इस बात का भली भांति ज्ञान है कि इनके खाते में ज्यादा जमीन दर्ज हो गई है जबकि इनका इनके हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है बल्कि हम प्रार्थीगण आज भी अपने हिस्से कब्जे की करीबन 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अपने–अपने परिवारजन सहित काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। इसलिए विपक्षी संख्या 1, 2 व पोखर द्वारा किये गये हस्तान्तरण अवैध होकर हमारे मुकाबले कोई प्रभाव नहीं रखते है और उक्त हस्तान्तरण शून्य निष्प्रभावी हैं। वर्तमान में उक्त भूमियां रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गुडली के नजदीक होने से इसकी कीमतों में भारी वृद्धि हो गई

है और इससे विपक्षी संख्या 1 से 3 के मन में भी लोभ लालच की भावना जागृत हो गई और ये लोग लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर अपने नाम अंकित कुलिया भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब व स में अंकित भूमियों में अपने हक हिस्से एवं कब्जे की 17 बिस्वा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी की घोषित करवाकर अपने नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी है और विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हटवाने के अधिकारी है। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण आज भी अपने हक हिस्से की जमीनों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा हमसे पहले हमारे मौरूस इन भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते थे जो भूमियां हम प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त होकर कब्जे आई है अर्थात् उक्त भूमियां विगत 60 से अधिक वर्षों से हमारे मौरूस एवं हमारे कब्जे अधिकार में चली आ रही है और हमने तथा हमारे मौरूस ने लाखों रूपयों की लागत लगाकर एवं परिवार सहित कडी मेहनत मजदूरी कर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान योग्य बनाई है और भूमि की सुरक्षा के लिये थौहर की बाड एवं कोट का निर्माण भी करवाया है और निरन्तर निर्बाध रूप से अपनी भूमियों पर बे रोक टोक काबिज होकर मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार कर उपज लेते आ रहे है जिसका ज्ञान विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं हर आम एवं खास को है और उक्त भूमियां हमारे परिवार के भरण पोषण का प्रमुख जरिया है लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1, 2 व पोखर ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर नुमाईशी तौर पर भूमियों का हस्तान्तरण कर दिया है और रेवेन्यु रेकार्ड में भी रद्दोबदल करवा दिया गया है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि में हमारे हक हिस्से व कब्जे की भूमियां वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज होने से एवं ये भूमियां रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास आ जाने से ये लोग लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त भूमियों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है और भूमाफिया भी केवल रेकार्ड को देखकर ही रजिस्ट्री कराने पर तुले हुवे है जबकि उक्त भूमि में हमारे हिस्से कब्जे की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 या इनके पूर्वजो का कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में इनका कोई हक व अधिकार ही है और न कभी ये लोग इस जमीन पर आये है। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब, स में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हमकों हमारे कब्जे काश्त की

भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे, हमारे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

6. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब, स में वर्णित आराजीयात में से हमारे हक हिस्से की 17 बिस्वा कृषि भूमि में किन्ही कारणों से हमारी खातेदारी की भूमि में कोई अडचन उपस्थित होती है तो भी इस 17 बिस्वा कृषि भूमि पर हमारा व हमारे पूर्वज का कब्जा 60 वर्ष से भी ज्यादा समय से खुले रूप में शांतिपूर्वक लगातार अधिकार सहित चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम उक्त भूमि को अपने खाते कराने के अधिकारी है। चूंकि विपक्षीगण या इनके पूर्वजों का कब्जा गत 60 वर्ष से नहीं रहा है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के अन्तर्गत इनकी खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो गयी है और हम प्रार्थीगण इसके खातेदार काश्तकार बन गये हैं।
7. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब, स में वर्णित कृषि भूमि में से 17 बिस्वा कृषि भूमि पर गत 60 वर्षों से हमारे पूर्वज व हम काबिज हो काश्त कर रहे है जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 3 का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है और उक्त भूमि हमारे परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन है और हमने व हमारे पूर्वजों ने परिवार सहित परिश्रम कर एवं लाखों रूपयों का खर्चा कर जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है जिस पर नियमित रूप से मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार लेते आ रहे है। ऐसी अवस्था में हमारी इस भूमि में विपक्षीगण का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार नहीं है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को अतुलनीय एवं अपरिमित अशोधनीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना संभव नहीं होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में हैं।
8. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 14.11.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 3 ने जमीन अन्य को बेचने की धमकी दी और हमारी भूमि हमारे कहने पर भी हमारे खाते कराने से इन्कार हो गये। इसलिए उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब, स में विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे काश्त की भूमि का विपक्षी संख्या 1 से 3 हमको शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रवेश नहीं करे,

बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं विपक्षी संख्या 4 से 6 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1/1 से 1/6 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1 से 1/6 द्वारा अपनी बहस में स्वयं की पैतृक एवं क्रयशुदा भूमि होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब व स में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से परिशिष्ट ब व स में वर्णित वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 481 पूर्व में विपक्षी संख्या 1 भेरा पिता तेजा के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 कंकु पत्नी सोहनलाल के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी जिसे विपक्षी संख्या 2 कंकु पत्नी सोहनलाल द्वारा अपना 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 भेरा पिता तेजा को विक्रय कर दी जिससे आराजी नम्बर 481 में सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 1 भेरा पिता तेजा के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार आराजी नम्बर 465 पूर्व में विपक्षी संख्या 1 भेरा पिता तेजा के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 कंकु पत्नी सोहनलाल के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी जिसे विपक्षी संख्या 1 भेरा पिता तेजा द्वारा अपना 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 कंकु पत्नी सोहनलाल को विक्रय कर दी जिससे आराजी नम्बर 465 में सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 2 कंकु पत्नी सोहनलाल के नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 2 कंकु पत्नी सोहनलाल द्वारा आराजी नम्बर 465 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आराजी नम्बर 466 में अपना 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 रामलाल पिता भेरा को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय के आधार पर विपक्षी संख्या 3 का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है इसलिए प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। इस कथन के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के मौरूस केवल उर्फ केवला के नाम दर्ज थी। अतः प्रार्थीगण का उक्त कथन दस्तावेजो के अभाव में माने जाने योग्य नहीं हैं।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का जब आपसी पांती बंटवाडा किया गया था उस बंटवाडे में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने मनमाने ढंग से भूमि कम दर्ज कर दी गई। इस कथन के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी की भूमि थी एवं आपसी पांती बंटवाडे में कम ज्यादा दर्ज हुई हो। अतः प्रार्थीगण का उक्त कथन दस्तावेजो के अभाव में माने जाने योग्य नहीं हैं।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि विगत 60 से अधिक वर्षों से हमारे मौरूस एवं हमारे कब्जे अधिकार में चली आ रही हैं। इस कथन के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि परिशिष्ट ब व स में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हो।

प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। वर्तमान में परिशिष्ट ब व स में वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। प्रार्थीगण द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया अत्यन्त आवश्यक हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं परन्तु विपक्षी संख्या 1 से 3 परिशिष्ट ब व स में वर्णित वादग्रस्त

भूमि के खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार होने से यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार काश्तकार होने से यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली